न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 10/2019 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

1. ओमप्रकाश पुत्र सोहन लाल जाति बैरवा निवासी महुखुर्द तहसील महवा
2. प्रेमलता पत्नि बिहारीलाल महुखुर्द तहसील महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. पूरण पुत्र कन्हैया जाति हरिजन निवासी महुखेडा तहसील महवा जिला दौसा
2. सुनीता पत्नि कैलाश जाति बैरवा निवासी गोला का बास, तहसील राजगढ जिला अलवर
3. तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा
4. अध्यक्ष, भूमि आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखंड अधिकारी बांदीकुई

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 आवंटन आदेश दिनांक 20.2.1976 बहक पूरण पुत्र कन्हैया आराजी खसरा नंबर 213 रकबा 2 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 571, 579 वाके रामा महु कलां तहसील महवा

उपस्थित–1. श्री मलखान सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 25.06.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.2.1976 को ग्राम महु कलां तहसील महवा के खसरा नंबर 213 रकबा 0.50है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में विधि विरूद्ध तरीके से भूमि का आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 20.2.1976 को आवंटन कमेटी अपूर्ण थी, नियमानुसार आवंटन कमेटी में एक जन प्रतिनिधि का होना अनिवार्य था, यह एक मेन्डेटरी प्रोविजन था जिसकी अवहेलना करके अप्रार्थी सं0 1 के हक में आवंटन किया गया जो कि नियमों के विरूद्ध होने से आवंटन निरस्तनीय है। नियमानुसार भूमि आवंटन होने के बाद मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त आवंटन की शर्तो की पालना करना अनिवार्य था, लेकिन आवंटी का मौके पर आवंटन के बाद से लेकर आज तक भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि मौके पर प्रार्थिया का कब्जा है इस प्रकार आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 के हक में भूमि आवंटन की प्रार्थिया को दिनांक 18.6.2019 को अप्राथी सं0 2 ने मौके [illegible] कर कहा कि उक्त जमीन पर से आप अपना कब्जा हटा लो, क्योंकि [illegible] पूरण पुत्र कन्हैया हरिजन को आवंटित हुई थी, उससे खरीद ली है, इसके बाद प्रार्थिया [illegible] भूमि के आवंटन आदेश की नकल निकलवाने पर उक्त जानकारी हुई। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 20.2.1976 बहक अप्रार्थी सं0 1 को खारिज फरमाया जावे तथा भूमि को राजकीय घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

4. अप्रार्थी सं0 1 व 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि आवंटी पूरण पुत्र कन्हैया जाति हरिजन निवासी महु खेडा को ग्राम महु कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 213 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 20.2.1976 को आवंटन सलाहकार समिति कैंप बडियाल कलां किया गया था। आवंटी भूमिहीन था, उसके खाते में कोई भूमि नहीं थी। आवंटी पूरण ने विधिवत रूप से भूमि आवंटन किये जाने हेतु फार्म भरकर प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जांच की गई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी आवंटी को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल आवंटन अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप बडियाल कलां द्वारा दिनांक 20.2.1976 को अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम महु कलां में स्थित भूमि खसरा नंबर 213 में 2 बीघा का आवंटन किया गया था।
7. इस संबंध में आवंटन कमेटी की सिफारिश अवलोकनीय है

   " आज यह प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश हुआ। प्रार्थी भूमिहीन है। अतः प्रार्थी पूरण पुत्र कन्हैया हरिजन साकिन महुखेडा को ग्राम महु कलां में आ.ख.नं. 293 मिन दो बीघा भूमि अलॉट की जाती है।"

आवंटन कमेटी द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रकिया विधिसम्मत प्रतीत होती है। आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में पंजीबद्ध करा दिया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी में हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा लगातार चला आ रहा होने का पत्रावली में कोई प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी पूरण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.2.1976 के द्वारा ग्राम महुकलां स्थित आराजी खसरा नंबर 213 रकबा 2 बीघा हाल खसरा नंबर 571, 579 का अप्रार्थी पूरण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 जून, 2025 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील 30 दिवस के भीतर सक्षम न्यायालय में की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official